

1-20

स्यतः 10/10/95 नं०
1970/95-

प्रतिबंधित अथवा अन्य किसी भी - - - की जो कि श्री
जे. के. एल. रामपुत द्वितीय अपर त्त्र न्यायाधीश, दुर्ग प्रमोड के न्यायालय
में त्त्र प्रमोड 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिले प्रकार निम्नलिखित है:-

मप्रमोडशासन, दारा- थाना भिलाई नगर,

दारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. अभियोजन.

विस्तृत

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. शान्ति, कान्त मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चकरी, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राम आ० रामआशोक राय,
साकिन- धारणी- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जो, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मानवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मानवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पलटन मल्हाड उर्फ रवि आ० नोलाई मल्हाड,
साकिन- निमही थाना स्ट्रपुर, जिला देवास प्रमोड
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन- जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुन, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह ठू आ० रावेल सिंह ठू,
साकिन- धार-37, ए०पी०ए०उ०तिम रोड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई अभियोजन

न्यायालय:- विद्वतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग 180901

। तारक:- श्री जे.के.एस.रावपुत ।

सत्र 9090-233/92

:: आरोप-पत्र ::

श्री जे.के.एस.रावपुत, विद्वतीय अति सत्र न्यायाधीश, दुर्ग 180901

वृत्त चंद्रचखसिंह उर्फ छोटू आत्मज भरतसिंह पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ :-

प्रथम :-
जन्म - 28/11/1940 (म 1940)
28-11-1940 को जन्म
पसके हुनेको हुनेको
दुर्ग जे
J. K. S. R. P.
78/77
11/11/51

आरोप पत्र :-
श्री जे.के.एस.रावपुत, विद्वतीय अति सत्र न्यायाधीश, दुर्ग 180901
पह कि आपने हुनेको नौलोनी, दुर्ग में दिनांक 28-9-91 को यह
उसके साथ प्रारंभ 3.45 बजे को उमके लगभग मुख्यद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत
शाह, शानप्रकाश मिश्रा, जयधर राय, अमरकुमारसिंह, ~~चंद्रकांतसिंह~~, फलदेव सिंह
सब पलटन मल्हाड के साथ आपकी सहमति ब्यवहार संकर गुहा नियोगी की हत्या
का षडयंत्र रचा, जो एक अश्वेय कार्य था जो उो अश्वेय साधनों ब्यवहार करित करने
के लिये करार किया था या उस सहमति के अनुसार में संकर गुहा नियोगी की
हत्या की गई और इस प्रकार आपने एक ऐसा कार्य किया, जो कि भारतीय सं
संहिता की धारा 120 की सहपठित धारा 302 के अधीन एक दंडनीय अपराध
है तथा इसके संतान की अधिकारिता का न्यायालय को प्राप्त है ।


अतएव मैं आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय ब्यवहार किया जाये ।

J. K. S. R. P.
। जे.के.एस.रावपुत ।
विद्वतीय अति सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग 180901

दिनांक:- 2-5-5-94

अभिपुस्त को उक्त आरोप को फरक सुनाये व समझये जाने पर उक्तो व्यन किया कि :- अनुसूचित है का...

J. K. S. R. P.
। जे.के.एस.रावपुत ।
विद्वतीय अति सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग 180901
दिनांक:- 2-5-5-94
J. K. S. R. P.
9-8-94



सत्यमेव जयते
प्रधान
प्रतिनिधि
कार्या, जि...